राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(76)ग्रुप–5/पीएमएवाईजी/विविध/2021–22 जयपुर, दिनांक

उप महानिदेशक (आरएच)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली।

विषयः आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति/ऑर्डरशीट जारी करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आग्रह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित लक्ष्यों 156420 में से 149003 की स्वीकृतियां एवं जारी स्वीकृतियों के विरूद्ध 134908 आवासों की ऑर्डरशीट जारी की जा चुकी है।

तकनीकी समस्याओं के कारण 7417 स्वीकृतियां एवं 14095 ऑर्डरशीट जारी होना शेष है। जिनके संबंध में जिला/पंचायत समिति स्तर से प्राप्त तकनीकी समस्याओं को एन.आई.सी. के ई–मेल **iay-nic@nic.in** पते पर समय–समय पर अग्रेषित किया जा रहा है। प्रकरणों में तकनीकी समस्याएं होने के कारण लम्बित है।

तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तर द्वारा समय समय पर वीसी के माध्यम से जिलों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, जिसके क्रम में दिनांक 18.09.2024 को वीसी आयोजित कर समस्याओं का निस्तारण किया गया। जिसमें निम्नानुसार सामान्य तकनीकी समस्याओं से अवगत करवाया गया।

1. ऑर्डरशीट जारी करते समय नेम मिसमेच वाले प्रकरणों में जिला स्तर से दस्तावेज की पीडीएफ फाईल अपलोड़ नहीं हो पा रही है। स्टोरेज से संबंधित एरर प्रदर्शित हो रहा है।
2. ग्राम पंचायत में टारगेट प्रदर्शित होने के उपरान्त भी लाभार्थी स्वीकृति हेतु प्रदर्शित नहीं होता है और ना ही वरीयता सूची में प्रदर्शित होता है, ऐसी स्थिति में लाभार्थी को ना तो स्वीकृत किया जा सकता है और ना ही टारगेट को स्थानान्तरित करवाया जा सकता है।
3. भूमिहीन लाभार्थियों को स्वीकृति से Skip करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जिलों द्वारा भूमिहीन लाभार्थी को जिले से मार्क कर अगले लाभार्थी की स्वीकृति जारी कर दी गई। परन्तु यदि किसी ग्राम पंचायत में वरीयता सूची में केवल Skip किये गये लाभार्थी शेष है एवं टारगेट भी शेष है तो न ही ऐसे लाभार्थियों की स्वीकृति जारी हो सकती है ना ही टारगेट स्थानान्तरित हो रहे है।
4. 6414 लाभार्थियों के आधार पीएफएमएस से रिजेक्ट हो गये है, जिसके कारण इन लाभार्थियों की ऑडरशीट जारी नहीं की जा सकती है।
5. 847 लाभार्थियों के आधार पीएफएमएस से सत्यापित होना शेष।

उक्त तकनीकी समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें, जिससे शत प्रतिशत प्रगति अर्जित की जा सके।

भवदीय

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kishor Sharma
Designation : Superintending Engineer
Date: 2024.09.18 17:56:27 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.।
2. श्री अजय मोरे, संयुक्त निदेशक, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

RajKaj Ref No.: 10561239